



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक- 385-391

दिनांक- 01-04-2017

प्राचार्य/सचिव,

समस्त बी.एड. महाविद्यालय/एम.एड. महाविद्यालय,  
जिला सीकर एवं झुन्झुनू।

विषय:- सत्र 2017-18 की सम्बद्धता जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कथन है कि वर्तमान विश्वविद्यालय के कार्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के जिला सीकर एवं झुन्झुनू में अवस्थित बी.एड./एम.एड. महाविद्यालयों को सत्र 2017-18 की सम्बद्धता अभिवृद्धि किये जाने हेतु महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क जमा करवाया गया है। ऐसे सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण प्रस्तावित है। ऐसे सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण दलों का गठन किया जाकर संबंधित आदेश दिनांक 11.03.2017 को जारी किया जा चुका है। इस संदर्भ में उपरोक्त आशय की सूचना मय निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप एवं निर्देशों के इस विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी गई है।

विश्वविद्यालय के लिए उक्त महाविद्यालयों के निरीक्षण के अभाव में वर्ष 2017-18 की बी.एड./एम.एड. महाविद्यालयों की सम्बद्धता अभिवृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा।


निरीक्षण के अभाव में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता नहीं रहने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पी.टी.ई.टी. को सीटों की संख्या तथा वांछित अन्य सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो पायेगा। उक्त परिस्थिति के लिए संबंधित महाविद्यालय का प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा।

एतद्वारा संबंधित सभी महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालय के लिए आवंटित निरीक्षण दल के संयोजक से स्वतः (Suomuto) सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके महाविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 10.04.2017 से पूर्व निःसंदेह हो जाये।

नोट:

1. महाविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण दल के संयोजकों द्वारा निरीक्षण हेतु तिथि निश्चित करने के आग्रह को बिना टाले सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन को प्राप्त अन्यथा प्रकृति की सूचनाएं चिन्ताजनक हैं।

2. संबंधित सभी महाविद्यालयों के निरीक्षण दल के संयोजकों के नाम एवं संपर्क फोन नम्बर आपको पूर्व में ईमेल द्वारा भेज दिये गये हैं। तदनानुसार आप अपने महाविद्यालय का निरीक्षण समय मर्यादा में हो, यह सुनिश्चित करें।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जाती है:—

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. कुलपति सचिवालय।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, ग्रुप-4, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. परीक्षा प्रभारी।
6. रक्षित पत्रावली।

  
कुलसचिव